न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–180 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

चमन उर्फ रामदयाल पुत्र थेपू, निवासी–ग्राम रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

बनाम

1– किशोरी पुत्र पान्चू, 2. करतार पुत्र मनिया, निवासी–ग्राम रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, 3. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून, 4. ग्राम सभा, रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

उपस्थित : पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता अपीलार्थी : श्री मधुसूदन शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0–1 व 2 : श्री राजेन्द्र सिंह।

आदेश।

यह द्वितीय अपील विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर देहरादून द्वारा प्रथम अपील संख्या–22 / 2006–07 किशोरी आदि बनाम चमन उर्फ रामदयाल आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 29–04–2016 के विरूद्ध प्रमुखतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश प्रथम दृष्टया तथ्यों एवं कानून के विरूद्ध है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय स्वयं प्रत्येक वाद बिन्दु पर अपना स्वतंत्र निर्णय देने के लिए बाध्य है तथा वाद को किसी भी दशा में प्रति प्रेषण करने की आवश्यकता नही थी क्योंकि किसी भी बिन्दु पर यह विनिश्चय नही किया गया कि पुनः साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण करें।

इस द्वितीय अपील के विचारण के मध्य अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या–1 व 2 द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रमाणित एक सहमति / समझौता पत्र दिनांक 03–05–2017 के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट प्रार्थना की गई है कि द्वितीय अपील उक्त सहमति / समझौता के आधार पर निर्णीत की जाए।

विद्वान अपर आयुक्त ने प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 29–04–2016 के द्वारा मूल वाद सभी विवादयकों पर विस्तृत विनिश्चयन के उपरान्त उसे निर्णीत किये जाने हेतु प्रति प्रेषित किया है। इस न्यायालय में प्रस्तुत सहमति पत्र / समझौता का विधिक संज्ञान लेकर आलोच्य वाद का नये सिरे से अभिनिर्णयन आवश्यक है तदनुसार यह द्वितीय अपील अस्वीकृत कर परीक्षण न्यायलय को निर्देशित किया जाता है कि वह विद्वान अपर आयुक्त के प्रति प्रेषण

आदेश दिनांक 29--04--2016 के क्रम में इस न्यायालय में प्रस्तुत सहमति/समझौतानामा दिनांक 03--05--2017 का विधिक संज्ञान लेकर मूल वाद को नये सिरे से निर्णीत करें। पक्षकार प्रस्तुत सहमति/समझौतानामा को इस न्यायालय से वापस लेकर परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करें जंहा वे दिनांक 23--11--2017 को उपस्थित हों।

दिनांकः--06.11.2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)